

# डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

क्र.स्था./2012/393

विश्वविद्यालय कार्यालय

दिनांक-03.05.2012

## // कार्यालय आदेश //

केन्द्र सरकार के नियमानुसार, विश्वविद्यालय के नियमित पात्र कर्मचारियों को ब्याज पर निम्नलिखित अग्रिम राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है:-

क्रमांक	विवरण अग्रिम लाभ हेतु	कर्मचारियों हेतु प्रात्रता	अधिकतम् देय राशि
	<b>वाहन खरीदने हेतु</b>		
1.	(क) मोटरकार	वेतन बैंड में वेतन रू0 19530/- या अधिक।	रू0 1,80,000/-
	(ख) मोटरसाइकिल/स्कूटर	रू0 8,560/- के वेतन बैंड में वेतन या उससे अधिक।	रू0 30,000/-
	(ग) साइकिल	गुप "सी/डी" कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन रू0 2800/- या उससे अधिक	रू0 3,000/-
2.	<b>कम्प्यूटर खरीदने हेतु</b>		
	कम्प्यूटर	वेतन बैंड में वेतन रू0 8,560/- या उससे अधिक।	रू0 30,000/-
3.	<b>गृह निर्माण हेतु</b>		
	गृह निर्माण	सभी स्थायी कर्मचारी व अन्य सभी कर्मचारी जिनकी कम से कम 10 वर्ष की लगातार सेवा हो।	प्रतिमाह के मूल वेतन + मंहगाई वेतन का 34 गुना अथवा मकान की अनुमानित लागत अथवा 7.5 लाख रुपये, इनमें से जो कम हो।

समस्त पात्र कर्मचारी विहित प्रपत्र (संलग्न) में अपना आवेदन अग्रिम स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं।

- संलग्नक : उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

Sd/-  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि:

1. समस्त अधिष्ठाता (प्रशा. एवं स्कूल)
2. समस्त शिक्षकगण/अधिकारी एवं कर्मचारीगण
3. वित्त अधिकारी/सी.ओ.ई./पुस्तकालय सहायक
4. प्रभारी-वेतन/बजट/भुगतान/अवकाश/भविष्य निधि/एफबीएलआईसी/पेंशन/आयकर शाखा
5. कुलपति जी के सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. कुलसचिव के निजी सहायक
7. जनसंपर्क अधिकारी/मीडिया अधिकारी
8. समन्वयक, वि.वि. बेबसाइट सेल
9. विभागीय/व्यक्तिगत नस्ती

-प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sd/-  
सहा.कुलसचिव  
(स्था. एवं प्रशा.)

